उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 116 /ix–1/ — /2013
देहरादून, दिनांक 29 जून, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 वर्ष 2003) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में दुर्घटना, बाढ, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा या ऐसे अन्य अदृश्य कारणों से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री पंहुचाने और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों और उनके सामान के परिवहन में लगी परिवहन गाडियों, जिनको मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन केन्द्र सरकार की अधिसूचना सं0–एसओ–417(ई) दिनांक 08 जून 1989 के अधीन परमिट से छूट प्राप्त है, को उनके राहत कार्यों में लगे रहने की अवधि के लिये, मोटर वाहन कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या– 116 (1)/ix–1/ —— /2013, समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5– समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या– 116 (2)/ix–1/ —— /2013, समदिनांकित।

प्रतिलिपि– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कराते हुये अधिसूचना की 100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।